न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 39/2024 बउनवानी रामजीलाल बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार खण्डार पुत्र श्री भवंर लाल मीना निवासी कंचन भवन शास्त्री नगर खेरदा

GCMS No-2024/89

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
23.8.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 19.6.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1.दैनिक डायरी पटवार मण्डल अक्षयगढ की माह दिस.,2017 से माह मार्च,2018 तक प्रमाणित प्रति। 2.वर्ष 2017–2018 के समस्त आदेश जिनकी पालना में डी.एल.आर.एम.पी. शीटो पर पटवार मण्डल अक्षयगढ की तरमीम कार्य किया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधि0 एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित होकर चाही गयी सूचनाऐं उपलब्ध नही करवाने बाबत निवेदन किया यह भी निवेदन किया कि दैनिक डायरी मेरे द्वारा तहसील कार्यालय मे जमा करवायी जा चुकी है किन्तु मुझे परेशान करने की गरज से दैनिक डायरी की नकल नही दी जा रही है। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से बतोर प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः भू.अ./2024/2205 दिनांक 22.8.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 19.6.2024 के बिन्दु संख्या 1 मे दैनिक डायरी पटवार मण्डल अक्षयगढ की माह दिस.,2017 से मार्च, 2018 की प्रमाणित प्रति चाही गयी है किन्तु संबंधित पटवारी द्वारा दैनिक डायरी तहसील कार्यालय मे जमा नही करवाने के कारण एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना में आदेश दिनांक अंकित नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही होने के कारण उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी जिसके संबंध मे अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 2133 दिनांक 13.8.2024 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.6.2024 के बिन्दु संख्या 1 मे चाही गयी सूचना के लिए तहसीलदार खण्डार को निर्देशित किया जाता है कि पटवार मण्डल अक्षयगढ की दैनिक डायरी यदि तहसील कार्यालय खण्डार मे जमा नही करवायी गयी है तो संबंधित पटवारी के विरूद्व तहसीलदार खण्डार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है की सूचना न्यायालय को भिजवावें। यदि दैनिक डायरी जमा है तो अपीलान्ट को दिसम्बर,2017 से मार्च,2018 तक की प्रमाणित प्रति 7 दिवस मे उपलब्ध करवायी जावे तथा वर्ष 2017–2018 में डी.एल.आर.एम.पी. शीटो पर पटवार मण्डल अक्षयगढ की तरमीम कार्य करवाये जाने से संबंधित आदेशो की कमांक व दिनांक अंकित नही होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नही है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण [illegible] जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल [illegible] सुनायी गयी। (डॉ0खुशाल या[illegible]) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:24:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner